न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 73/2020
3. उनवान : सरकार जरिये बबीता यादव, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

प्रो. रामजीलाल रैगर साईं एन्टरप्राइजेज खोरा बीसल, आमेर, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 27.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, आमेर श्रीमती बबीता यादव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 31.01.2020 को पुलिस चौकी खोरा बीसल द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में स्वयं के वहां उपस्थित होने की सूचना पर अप्रार्थी के उक्त पते पर पहुंचे। मौके पर 5 घरेलू सिलेण्डर, 3 वाणिज्यिक सिलेण्डर, 2 छोटे गैस सिलेण्डर बिना लेबल वाले एवं 6 बांसुरी पीतल की पायी गयी। मौके पर उपस्थित फर्म मालिक ने इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही गैस कनेक्शन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। इस प्रकार 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 27.555 किग्रा. एलपीजी व 6 पीतल की बांसुरी को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस पर एस.एच.ओ. आमेर की ओर से रिपोर्ट अंकित की गई है कि उक्त पते पर पूछताछ करने पर इस नाम से कोई नहीं रहना बताया ना ही वर्णित फर्म वहां है। ऐसे में अप्रार्थी की तामील करवाया जाना संभव नहीं है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी/अधिवक्ता की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 31.01.2020 को अवैध रुप से गैस रिफिलिंग किये जाने की शिकायत पर सिलेण्डर जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी मौके पर व आज तक नहीं दिया गया। अप्रार्थी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर घरेलू सिलेण्डर, वाणिज्यिक सिलेण्डर व गैस अन्तरण में काम मे ली जाने वाली बांसुरी मिलने से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाना पुष्ट होता है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 27.555 किग्रा. एलपीजी व 6 पीतल की बांसुरी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।